

**Violation Letter**  
**E-MAIL / स्पीड पोस्ट**



**भारत सरकार Government of India**  
**खान मंत्रालय Ministry of Mines**  
**भारतीय खान ब्यूरो Indian Bureau of Mines**  
**क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय Office of the Regional Controller of Mines**  
**भारतीय सर्वेक्षण परिसरकी भवन संख्या- 61, भूतल, सर्वे चौक, 17-ईसी रोड, देहरादून -248001(उत्तराखण्ड)**  
**Building No.61, Ground Floor, Survey of India Campus, Survey Chowk,**  
**17 EC Road, Dehradun -248001 (U.K.)**  
**100TEL- 0135-2676350 / 2671896, E-mail - [ro.dehradun@ibm.gov.in](mailto:ro.dehradun@ibm.gov.in)**



फाईल संख्या/ File No:MCDR-MiFLOLST/20/2022-DDN-IBM\_RO\_DDN

Mine Code:  
38HPR10079

दिनांक:- 17.02.2024

सेवा में/ To : नामित खनन पट्टा धारक  
मैसर्स जानकी माइन्स एंड मिनरल्स,  
वार्ड संख्या 406/1,  
निकट राधा स्वामी सत्संग,  
रामकुंडी , नाहन,  
जिला-सिरमौर ,हि.प्र.

Email-  
jankiminesnminerals@gmail.com

विषय/ Sub: ग्राम कमरऊ, तहसील, कमरऊ , जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में स्थित, भवानी चुना पत्थर खदान (5.61 हेक्टेयर) में खनिज संरक्षण और विकास नियम, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन के सम्बन्ध में ।

महोदय/ Sir,

उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 03.01.2025 को श्री के मिश्रा ,खान मनेजर की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया था एवं निरीक्षण के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमवाली 2017 के निम्न प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया ।

RULE NO.	NATURE OF VIOLATION OBSERVED
11(1)	<p>Mining Operation were not carried out in accordance with Review and Updation the mining plan approved vide letter 614(2)/MP-B-182/02-DDN dated 17.03. 2023 to the following extent:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>During the year 2023-24, the development of benches was proposed in south east region with a height of 5 meters. However, during the inspection, the development was not found at the proposed place.</i></li> <li>2. <i>In the PMCP chapter, the fencing (61m) was not done as per the proposal.</i></li> </ol>
45 (7)	<p>In the submitted annual return of 2023-24 discrepancy are found as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. <i>It has been observed that you have submitted incomplete information by not providing the registration number of purchasers of mineral in the Annual returns.</i></li> <li>ii. <i>You mentioned the part time geologist in annual return therefore you are requested to submit the details and notice of appointment of geologist as per Rule 55 of MCDR (2017).</i></li> </ol>

2. इस संबंध में, यह आपके संज्ञान में लाया जाता है कि नियम 11(1) का उल्लंघन नियम 62(1) एम सी डी आर संसोधन नियम -2021 के तहत दंडनीय अपराध है | 45(7) का उल्लंघन नियम 62(2) एम सी डी आर संसोधन नियम 2021 के तहत दंडनीय है ।
3. इस संबंध में, यह आपके संज्ञान में लाया जाता है कि नियम 11(1) का उल्लंघन नियम 62(1) एम सी डी आर संसोधन नियम -2021 के तहत दंडनीय अपराध है |
4. इसके अतिरिक्त नियम 11(1) की पालना निर्धारित समयावधि में न होने पर नियम 11(2) के तहत खनन कार्य स्थगन करने की अनुसंधा की जा सकती है, और / या आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।
5. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का तत्काल सुधार कर इसकी सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैंतालीस) दिनों के अंदर इस कार्यालय को भेजे।

भवदीय/Yours faithfully,

(नितिन/Nitin)

कनिष्ठ खनन भू-विज्ञानी /Junior Mining Geologist  
भारतीय खान ब्यूरो / Indian Bureau of Mines

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1- खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (zo.udaipur@ibm.gov.in)
- 2- निदेशक उद्योग निदेशालय, हि0 प्र0 सरकार, उद्योग भवन, शिमला (हि0 प्र0). (geologicalwing@gmail.com)
- 3- गार्ड फाइल

(नितिन/Nitin)

कनिष्ठ खनन भू-विज्ञानी /Junior Mining Geologist  
भारतीय खान ब्यूरो / Indian Bureau of Mines